

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प0 12(3)वन/2011


जयपुर, दिनांक:- 17.8.12

आदेश

राज्यादेश क्रमांक प0 12(3)वन/2011 जयपुर, दिनांक 11.7.2012 से वन विभाग के संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया था, जिसके अनुसार उदयपुर जिले में पूर्व में विद्यमान 3 वन मण्डलों नामतः उदयपुर (उत्तर), उदयपुर (मध्य) एवं उदयपुर (दक्षिण) के स्थान पर अब मात्र 2 वनमण्डल- उदयपुर (उत्तर) तथा उदयपुर (दक्षिण) ही रखे गये है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व वन मण्डल उदयपुर (मध्य) के अधीनस्थ वन क्षेत्रों को वर्तमान 2 वनमण्डलों में समाविष्ट करते हुए उदयपुर (उत्तर) एवं उदयपुर (दक्षिण) वनमण्डलों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम वनमण्डल	अधीनस्थ साहायक वन संरक्षक पद	अधीनस्थ रेंज
1.	उदयपुर (दक्षिण)	1. उदयपुर (दक्षिण)	1. उदयपुर (पश्चिम)
			2. परसाद
			3. खैरवाडा
		2. झाडोल	1. झाडोल
			2. फलासिया
			3. ओगणा
		3. सलुम्बर	1. सलुम्बर
			2. सराडा
			3. कुराबड
2.	उदयपुर (उत्तर)	1. उदयपुर (उत्तर)	1. उदयपुर (पूर्व)
			2. गोगुन्दा
			3. सायरा
			4. मावली
			5. भिडर
		2. कोटडा	1. कोटडा
			2. देवला
			3. कुकावास

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ० वी० एस० सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीया वन मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हौफ), राजस्थान जयपुर ।
4. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. संबंधित वनाधिकारीगण द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर ।
6. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव